न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

52 / 2025

भरत राजवानी निवासी सिंगोदिया स्कूल के पास मेहन्दीबाग टोंक राज.

---अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22.07.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 24.03.2025 / 27.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

मेरी बहन की आयु करीब 80 +वर्ष है और अब जर्जर होता शरीर है, एक और उक्त बहन रमा राजवनी के साथ यहां उसके साथ उसकी छोटी बहन सावित्री भी रहती हैं जिसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है।

हमारे मकान के जस्ट पास में रिहायशी कॉलोनी में अवैध रूप से सिंगोदिया स्कूल संचालित हो रहा है जहां पढ़ने वाले छोटे–छोटे बच्चों के उधम–धाड और शोर शराबे ने खास तौर पर मेरी बड़ी बहन रमा का जीना हराम कर दिया है चूकि उनकी वृद्धावस्था चरम पर होने से यह वातावरण प्राय अब उनके लिए असहनीय होता जा रहा है।

ऐसी जर्जर होते शरीर पेशेंट के लिए प्रायः डाक्टर भी शांत वातावरण का होना जरूरी मानते हैं ऐसे में विनती है कि तुरंत ही जानलेवा साबित होते जा रहे उक्त सिंगोदिया स्कूल मेहंदी बाग टोंक को तुरंत ही बंद करवाया जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो वैसे भी मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने का सख्त कानूनी प्रावधान वह मानवता का भी यह तकाजा है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 998 दिनांक 05.06.2025 व 1134 दिनांक 18.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 594 दिनांक 20.06.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक से संबंधित होने से उनके पत्र कमांक 489 दिनांक 14.05.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1198 दिनांक 03.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 473 दिनांक 08.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि सूचना के संबंध में उनके पत्र कमांक

जिला कलेक्टर
684

जिला कलेक्टर
टोंक

मिसल न्यायालय .... तादाद पर्चे

जिला कलेक्टर
टोंक

428 दिनांक 26.06.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)